रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 1973/चैत्र 24, 1895
No. 147] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 1973/CHAITRA 24, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

Department of Labour and Employment

ORDER

New Delhi, the 14th April 1973

S.O. 221(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for securing the defence of India and for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lockout in the works connected with the Idikki Hydro-electric Project in the State of Kerala would prejudicially affect the defence of India and for maintaining supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said works;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, strike or lockout, in connection with any industrial dispute, in the said works for a period of six months.

[No. F. 42025/1/72-LR. I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1973

का० आ० 221(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार की राय में भारत की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यत: केरल राज्य में इडिक्की जल-विद्युत प्रयोजना से सम्बन्धित किसी कार्य में कोई हड़ताल या तालाबन्दी भारत की रक्षा पर और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त सेवा में हड़ताल को रोकना आवश्यक और समीचीन है।

अत:, अब, भारत सरकार रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सेवा में किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल या तालाबन्दी को तुरन्त से छ: मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करती है।

[सं० फा० एस-42025/1/72-एल० आर०-1]

एस० एस० सहस्रानामन, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973